बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक 16.01.26

श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 437/24, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक–287 दिनांक–31.05.2025 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र के अनुसार श्री कुमार द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये बिना पद का प्रभार स्वतः परित्याग करते हुए मनमाने ढंग से छुट्टी में प्रस्थान किया गया एवं इनके द्वारा ऐसा दो बार किया गया। इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एंव अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असंवदेनशीलता बरतने का भी आरोप प्रतिवेदित है। इनके इस कृत्य को बिहार सरकारी आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित किया गया है।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 16664 दिनांक 04.09.2025 द्वारा आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री कुमार के लिखित अभिकथन/बचाव बयान में अंकित है कि उनके बेटे की CBSE Board 10+2 की आंतरिक परीक्षा समाप्ति के बाद CBSE द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत Practical परीक्षा दिलाने हेतु दिल्ली में जाकर पुत्र के उक्त परीक्षा में शामिल होने तथा J.E. Main, 2025 के दिनांक–29.01.2025 को आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये इनके द्वारा दिनांक–13.01.2025 से 08.02.2025 तक के लिये उपार्जित छुट्टी का आवेदन दिनांक–08.01.2025 को जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को दिया गया तथा उनसे मिलकर मौखिक रूप से सूचना देकर सहमति प्राप्त की गयी थी।

श्री कुमार के अनुसार इनके द्वारा पुनः अपने बेटे की परीक्षा दिलाने हेतु दिनांक–13.02.2025 से 17.02.2025 तक के लिये उपार्जित छुट्टी का आवेदन दिनांक–06.02.2025 को दिया गया था। जिला पदाधिकारी से मिलकर अनुरोध भी किया गया। आवेदन पत्र की स्वीकृति की प्रत्याशा में सूचना देते हुए उनके द्वारा छुट्टी में प्रस्थान किया गया।

श्री कुमार के अनुसार जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा इस संबंध में आरोप पत्र प्रेषित करना अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और अकारण पक्षपाती होकर आरोप गठित करना, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8322 दिनांक 10.06.2015 से निर्गत निदेश के अनुरूप नहीं है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार अपने पदीय दायित्वों प्रति संवेदनशील नहीं है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव अभिकथन में जिला पदाधिकारी पर अनावश्यक रूप से आक्षेप और लांछन लगाये गये हैं, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। नियमानुसार नियंत्री पदाधिकारी से आवेदन पत्र की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर छुट्टी में प्रस्थान करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार द्वारा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एंव अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असंवदेनशीलता बरतने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम–14 की अधीन **(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड विनिश्चित किया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 437/24, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम–14 की अधीन **(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–27/आरोप–01–01/2025 सा0प्र0 1206 **/पटना–15, दिनांक** 16.01.26

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 437/24, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/1/26

सरकार के अपर सचिव।